फाइल नं0-71-1002/209/2019

69/2022/I/162452/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 04 मई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के पत्र संख्या-3810/भवन/रा0मे0का0/2022, दिनॉक 24-03-2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 38820.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1753/71-1-12-जी-88/2008 दिनॉक 18-09-2012 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त आकलित लागत रू0 38820.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0 36879.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई तथा शेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 1941.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष था। शासनादेश संख्या-142/2020/4168/71-1-2020-जी-88/2006, दिनॉक 23.11.2020 द्वारा रू0 1000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु शेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 33.00 लाख (रू0 तैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनॉक 29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3- महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

7- शासनादेश संख्या-1753/71-1-12-जी-88/2008 दिनॉक 18-09-2012 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055500 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज उरई जालौन मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनॉक 29.03.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।